संख्या- 22/2024/ 001-457-24-1-2024-55-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-।। के पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-48/एफ एम/एफ-।।/ट्रांस्को/बजट/399/2021/23-24, दिनांक 07 मार्च, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-।1 के पारेषण कार्यों हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 लेखाशीर्ष 4801-05-190-12-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 434,00,00,000/- (रूपये चार सौ चौतीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 406,28,00,000/- (रूपये चार सौ छः करोड़ अट्ठाइस लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 36,11,00,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ ग्यारह लाख मात्र) को माह मार्च, 2024 में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या -42 जी/शुद्ध पत्र संख्या -426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसका उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक हो सके।

(6) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपभोग सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,11,00,000 (रुपये छत्तीस करोड़ ग्यारह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051901200 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-174-X-2023-24-दिनांक:16-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।

संख्या-21/2024/001-457(1)-24-1-2024-55-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
4- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा ।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।